Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding land allotment package to Srilankan refugees.

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1964 में श्री लाल बहादुर शास्त्री और सिरीमावो भंडारनायके के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था और भारतीय मूल के जो तमिल श्रीलंकाई लोग हैं, उन्हें भारत के अंडमान-निकोबार लाया गया था। उसके मुताबिक वर्ष 1976 में भारतीय मूल के तमिल श्रीलंकाई लोगों को लिटिल अंडमान तथा सोलबे में बसाया गया था। पैकेज के मुताबिक उन्हें दो हेक्टेयर्स की लैंड दी गयी थी। वर्ष 1976 में 48 लोगों के एक ग्रुप को कचाल द्वीप ले जाया गया था और उन्हें आधी एकड़ की लैंड दी गयी थी। तब से यह लड़ाई चल रही थी कि हमें बाकी सेटलर्स की तरह लैंड दी जाए। यह उनके सेटलमेंट का पैकेज है। माननीय वाजपेयी जी ने प्रधान मंत्री के नाते अंडमान में आइलैंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी की मीटिंग में यह फैसला किया था कि 48 तमिल श्रीलंकाई रिपैट्रिएट्स को साउथ अंडमान के शैतान की खाड़ी में 1.5 हेक्टेयर्स की लैंड दी जाए। उसके पश्चात् तब के लेफ्टिनेंट गवर्नर एन.एन. झा ने दिनांक 09 जुलाई, 2003 को मीटिंग करके फैसला किया और चीफ सेक्रेटरी तथा डी.सी. को डायरेक्शंस दिए कि इन्हें 1.5 हेक्टेयर्स लैंड दी जाए। इसके पश्चात् भी मैंने पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन पूछा था। वह क्वेश्चन नं. 1145, दिनांक 20 मार्च, 2012 को किया गया था। सरकार ने उसकी रिप्लाई में डायरेक्शन दिया कि वाजपेयी जी ने जो फैसला किया था, उसके मुताबिक उन्हें लैंड दी जाए। पर, आज उसके 42 साल बीत गए हैं, पर उन्हें आज तक लैंड नहीं दिया गया।

इस बारे में मैंने बहुत जगहों पर प्रेयर किया। कृपया आप सरकार, उप राज्यपाल को आदेश दें कि कचाल के 48 श्रीलंकाई तमिलियंस को वाजपेयी सरकार ने जितना लैंड देने का आदेश दिया था, पार्लियामेंट ने कहा था, उसका आदर करते हुए 15 दिनों में उन्हें साउथ अंडमान में लैंड दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER:

Kunwar Pushpendra Singh Chandel and

Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Bishnu Pada Ray.